| |
|---|
| दिनांक 29.05.2025 |
| प्रेस विज्ञप्ति 48/2025 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस अधिकारियों का विदाई समारोह

**श्री प्रशान्त कुमार**, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 29.05.2025 को पुलिस मुख्यालय में आयोजित विदाई समारोह के दौरान अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी श्री पी0वी0 रामाशास्त्री पुलिस महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0, डॉ0 संजय एम0 तरडे पुलिस महानिदेशक दूरसंचार उ0प्र0, श्रीमती किरन यादव पुलिस उपमहानिरीक्षक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उ0प्र0, डॉ0 अरविन्द चतुर्वेदी पुलिस उपमहानिरीक्षक सर्तकता अधिष्ठान उ0प्र0 एवं श्री तेज स्वरूप सिंह पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्मिक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को स्मृति चिन्ह भेंट की गयी तथा सेवाकाल के दौरान उल्लेखनीय योगदान की सराहना करते हुए उनके एवं उनके परिवार के सुख, समृद्धि एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गयी।

**श्री पी0वी0 रामाशास्त्री जी** का जन्म 18 मई 1965 को वारंगल (आन्ध्र प्रदेश) में हुआ था। वर्ष 1989 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में चयनित होकर गुजरात कैडर आवंटित होने के फलस्वरूप सहायक पुलिस आयुक्त, राजकोट (सिटी) गुजरात, सेनानायक, प्रशिक्षण केन्द्र जूनागढ़ गुजरात के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 1994 में गुजरात कैडर से उत्तर प्रदेश कैडर में स्थानान्तरित होकर उप सेनानायक, 09वीं वाहिंनी पीएसी मुरादाबाद, पुलिस अधीक्षक, सुलतानपुर, हाथरस, बलिया, सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ, रेलवे इलाहाबाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा, फतेहगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक(कार्मिक), पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के पद पर नियुक्त रहे तथा यहीं से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये। वर्ष 2008 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेलवे लखनऊ, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बस्ती परिक्षेत्र, इलाहाबाद परिक्षेत्र, मेरठ परिक्षेत्र के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2010 में 'पुलिस महानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस महानिरीक्षक(प्रोविजनिंग एवं बजट), पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के सहायक के पद पर नियुक्त रहे तथा यहीं से पुनः केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये। वर्ष 2017 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 एवं अपर पुलिस महानिदेशक, सर्तकता अधिष्ठान लखनऊ के पद पर नियुक्त रहते हुये वर्ष 2020 में पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रोन्नत हुये तथा यहीं से

पुनः केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये। मार्च 2024 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप पुलिस महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पद पर नियुक्त हुये, जहाँ से दिनांकः31.05.2025 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त होंगे।

गणतन्त्र दिवस 2006 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक, गणतन्त्र दिवस 2014 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक, स्वतन्त्रता दिवस 2018 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह (सिल्वर), स्वतन्त्रता दिवस 2019 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(गोल्ड) एवं स्वतन्त्रता दिवस 2020 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह (प्लैटिनम) से सम्मानित किया गया है।

श्री पी0वी0 रामाशास्त्री जी कानूनविद, निष्ठावान एवं सुयोग्य अधिकारी रहे हैं। 34 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

**डॉ0 संजय एम0 तरडे जी** का जन्म 06 मई 1965 को अहमदनगर(महाराष्ट्र) में हुआ था। वर्ष 1990 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त सहायक पुलिस अधीक्षक झांसी, पुलिस अधीक्षक(नगर) कानपुर, पुलिस अधीक्षक जनपद देवरिया, पिथौरागढ़, फतेहपुर, मऊ, बहराइच, बलिया, सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी, सेनानायक, 06वीं वाहिनी पीएसी मेरठ, 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर, 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर, 36वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी एवं 39वीं वाहिनी पीएसी मिर्जापुर के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2005 में 'पुलिस उप महानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होकर पुलिस उप महानिरीक्षक, सीबीसीआईडी लखनऊ, सुरक्षा लखनऊ, अभिसूचना लखनऊ, पुलिस उप महानिरीक्षक (स्थापना) उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद, पुलिस उप महानिरीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र एवं देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2010 में 'पुलिस महानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना), उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद, पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक(प्रोविजनिंग एवं बजट) पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद एवं सीबीसीआईडी उ0प्र0 लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2015 में 'अपर पुलिस महानिदेशक' के पद पर प्रोन्नत होकर अपर पुलिस महानिदेशक सीबीसीआईडी लखनऊ एवं प्रशिक्षण लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2022 में 'पुलिस महानिदेशक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण लखनऊ के पद पर नियुक्त हुये। वर्तमान में पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार उ0प्र0 के पद पर नियुक्त हैं, जहाँ से दिनांकः31.05.2025 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होंगे।

स्वतन्त्रता दिवस 2008 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक, स्वतन्त्रता दिवस 2015 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक, स्वतन्त्रता दिवस 2018 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(सिल्वर) एवं गणतन्त्र दिवस 2020 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(गोल्ड) से सम्मानित किया गया है।

डॉ0 संजय एम0 तरडे जी कार्यकुशल एवं सुयोग्य अधिकारी रहे हैं। 33 वर्षों से अधिक का कार्यकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

**श्रीमती किरन यादव जी** का जन्म 15 मई 1965 को जनपद जौनपुर में हुआ था। वर्ष 1997 में 'प्रान्तीय पुलिस सेवा' में चयनित हुई। प्रशिक्षणोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, रेलवे बरेली, प्रशिक्षण लखनऊ, कानपुर नगर एवं सीआईडी लखनऊ के पद पर नियुक्त रहीं। वर्ष 2010 में 'अपर पुलिस अधीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होकर अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, सेक्टर ऑफिसर, सीबीसीआईडी मेरठ, अपर पुलिस अधीक्षक(यातायात) गाजियाबाद एवं मेरठ, अपर पुलिस अधीक्षक, सर्तकता अधिष्ठान लखनऊ, उप सेनानायक, 41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद के पद पर नियुक्त रहीं। वर्ष 2018 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ एवं पीटीएस गोरखपुर के पद पर नियुक्त रहीं। वर्ष 2024 में 'पुलिस उपमहानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, लखनऊ के पद पर नियुक्त हैं, जहाँ से दिनांकः31.05.2025 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होंगी।

**डॉ0 अरविन्द चतुर्वेदी जी** का जन्म 12 मई 1965 को जनपद इटावा में हुआ था। वर्ष 1994 में 'प्रान्तीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक, पीटीसी–I मुरादाबाद, पुलिस उपाधीक्षक, जनपद रायबरेली, महोबा, लखनऊ, एसटीएफ लखनऊ, कोसोवो एवं मण्डलाधिकारी, अभिसूचना लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2013 में 'अपर पुलिस अधीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होकर अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ के पद पर नियुक्त हुये। वर्ष 2018 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस अधीक्षक, जनपद जालौन, गाजीपुर, बाराबंकी, सुलतानपुर, सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2025 में 'पुलिस उपमहानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, सर्तकता अधिष्ठान, लखनऊ के पद पर नियुक्त हुये, जहाँ से दिनांकः31.05.2025 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होंगे।

वर्ष 2005 में अनमिक पदक, दिनांकः12.11.2010 को वीरता के लिये पुलिस पदक, गणतन्त्र दिवस 2017 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(सिल्वर), गणतन्त्र दिवस 2018 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(गोल्ड), गणतन्त्र दिवस 2020 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(प्लैटिनम) एवं गणतन्त्र दिवस 2022 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है।

**श्री तेज स्वरूप सिंह जी** का जन्म 22 मई 1965 को जनपद चित्रकूट में हुआ था। वर्ष 1995 में 'प्रान्तीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद कानपुर देहात, कानपुर नगर, अलीगढ़, बदायूँ, इलाहाबाद, आजमगढ़, आगरा, सुलतानपुर, गाजीपुर, विशेष जांच लखनऊ, सहायक सेनानायक, 42वीं वाहिनी पीएसी इलाहाबाद के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2013 में 'अपर पुलिस अधीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होकर अपर पुलिस अधीक्षक, मऊ, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, अपर पुलिस अधीक्षक(अपराध) मेरठ, अपर पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू लखनऊ, हाईकोर्ट सुरक्षा इलाहाबाद, अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात आगरा एवं प्रोटोकाल आगरा, उप सेनानायक, 42वीं वाहिनी पीएसी, इलाहाबाद के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2019 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस अधीक्षक(कार्मिक) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, पुलिस अधीक्षक, कानपुर आउटर, पुलिस उपायुक्त, कानपुर नगर एवं लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2025 में 'पुलिस उपमहानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नति के उपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक(कार्मिक) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर नियुक्त हैं, जहाँ से दिनांकः31.05.2025 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होंगे।

स्वतन्त्रता दिवस 2020 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह(सिल्वर) एवं स्वतन्त्रता दिवस 2022 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक रूल्स मैन्युअल, पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस, पुलिस महानिदेशक होमगार्ड, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, पुलिस महानिदेशक भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, पुलिस महानिदेशक अभियोजन, अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू, अपर पुलिस महानिदेशक यूपी 112, अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

UTTAR PRADESH POLICE

UTTAR PRADESH POLICE
प्रदेश

UTTAR PRADESH POLICE

UTTAR PRADESH POLICE

जी.आर.पी

| |
|---|
| **दिनांक 29.05.2025** |
| **प्रेस विज्ञप्ति 49/2025** |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः लॉरेन्स बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य एवं हासिम बाबा का शार्प शूटर, दिल्ली में व्यापारी की हत्या की घटना एवं मकोका में वांछित कुख्यात अपराधी नवीन कुमार एसटीएफ के साथ साहसिक मुठभेड़ में घायल, इलाज के दौरान मृत घोषित।

दिनाक 28–05–2025 की रात्रि में एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर एवं स्पेशल सेल एन0डी0आर0 दिल्ली की संयुक्त कार्यवाही में लॉरेन्स बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य एवं हासिम बाबा का शार्प शूटर, दिल्ली में व्यापारी की हत्या की घटना एवं मकोका में वांछित कुख्यात अपराधी नवीन कुमार एसटीएफ के साथ साहसिक मुठभेड़ में घायल, चिकित्सकों द्वारा उपचार के दौरान मृत घोषित किया गया।

मृतक अभियुक्त का विवरणः–

नवीन कुमार पुत्र सेवा राम निवासी लोनी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगीः–

1– 01 अदद पिस्टल 32 बोर (TAURUS)
2– 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर
3– 04 अदद खोखा कारतूस 32 बोर
4– 01 अदद मोटर साईकिल (नं0 डीएल–4–एससीएस–9237)
5– 01 जोडी चप्पल
6– 02 अदद गमछा

घटना का दिनांक/समय/स्थानः–

दिनांक 28–05–2025 की रात्रि समय लगभग 22.20 बजे रात्रि। निजामपुर तिराहा की ओर, थाना कोतवाली जनपद हापुड क्षेत्र ।

उल्लेखनीय है कि लॉरेन्स बिश्नोई गैंग के सदस्यों एवं इस गैंग के सक्रिय सदस्य हाशिम बाबा आदि के सम्बन्ध में आपराधिक सूचनाऐं संकलित की जा रही थी तो ज्ञात हुआ कि यह गैंग भाड़े पर हत्या कराने एवं धन उगाही के लिए भय कारित करने तथा हत्या करने में संलिप्त है । इसी संदर्भ में एक व्यापारी की हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना फर्श बाजार दिल्ली में मु0अ0सं0 629/24 धारा 103(1), 3(5), 249, 61(2), 303, 318, 336, 341 बी0एन0एस0 एवं 25/27 आर्म्स एक्ट एवं 43/66/66बी/72 आई0टी0 एक्ट एवं 3/4 मकोका का अभियोग पंजीकृत है। अभिसूचना संकलन के दौरान स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस को इस हत्या की घटना में जनपद गाजियाबाद निवासी नवीन कुमार

की संलिप्तता प्रकाश में आने के बाद वांछित चल रहा है। दिनांक 28–05–2025 को निरीक्षक श्री पंकज कुमार के नेतृत्व में स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस एवं एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम का नेतृत्व कर रहें उप निरीक्षक श्री अक्षय पीके त्यागी को विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि अपराधी नवीन कुमार अपने साथी के साथ मोटर साईकिल से जनपद हापुड की तरफ किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए हापुड पहुॅचकर निजामपुर तिराहा के पास घेराबंदी की गयी तो कुछ देर के बाद निजामपुर तिराहा की ओर से एक मोटर साईकिल पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिये, जिनको रूकने के लिए कहा गया परन्तु मोटर साइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने हथियार निकाल कर पुलिस को निशाना बनाते हुए जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी जिसके जवाब में एसटीएफ टीम द्वारा साहस, संयम एवं व्यवसायिक दक्षता का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ संतुलित एवं नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने के कारण घायल हो गया और उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल उपचार हेतु निकट के अस्पताल भेजा गया जहॉ पर चिकित्सकों द्वारा परीक्षणोपरान्त उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक अभियुक्त की पहचान नवीन कुमार, उपरोक्त के रूप में हुई, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी भी हुई। इस साहसिक मुठभेड़ में स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के उप निरीक्षक श्री विजेन्द्र दिवाच एवं एस0टी0एफ0 नोएडा टीम के पुलिस कर्मी मुख्य आरक्षी अंकुर सिंह भी घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

मुठभेड के दौरान एसटीएफ टीम व स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस द्वारा अदम्य साहस व शौर्य का प्रदर्शन किया गया तथा मा0 मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।

अभियुक्त नवीन कुमार के सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि यह कक्षा 12 पास है तथा प्रारम्भ से ही गैंग बनाकर अपराधिक घटनाओं को कारित करने लगा था । मृतक अभियुक्त नवीन कुमार पहली बार दिनांक 06–09–2008 को शस्त्र अधिनियम के केस में थाना सीमा पुरी दिल्ली से जेल गया था, इसके बाद से ही वह जग्गू पहलवान गैंग से जुड़ गया था और गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगा था । वर्ष 2011 में जग्गू पहलवान की हत्या हो जाने के उपरान्त मुतक अभियुक्त नवीन कुमार के द्वारा ही जग्गू पहलवान गैंग का नेतृत्व किया जाने लगा था । इसके बाद मृतक अभियुक्त नवीन कुमार, हासिम बाबा (जो कुख्यात अपराधी लॉरेन्स गैग से जुड़ा हुआ था) के संपर्क में आया और इस गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपराधिक घटनाऐं करने लगा । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक अभियुक्त नवीन कुमार को थाना हर्ष विहार दिल्ली के अ0सं0 70/13 धारा 307/323/34 भादवि तथा थाना सीमापुरी दिल्ली के अ0सं0 642/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियोग में माननीय न्यायालय से सजा होने का तथ्य भी प्रकाश में आया है।

मृतक अभियुक्त नवीन कुमार उपरोक्त की आपराधिक गतिविधियां–

1– दिनांक 15–10–2009 को मृतक अभियुक्त नवीन कुमार द्वारा अपने गैग के सदस्यों के साथ मिलकर हर्ष विहार दिल्ली निवासी अमित भारद्वाज की, जब वह अपना ईलाज कराने अस्पताल में गया था गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी । इस हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 2108/09 धारा 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत है।

2– दिनांक 03–01–2011 को अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर सुमित निवासी बाबरपुर दिल्ली का अपहरण कर हत्या की गयी थी तथा लाश को थाना मन्सूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर क्षेत्र में फेक दिया गया था । इस जघन्य हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना वेलकम दिल्ली में मु0अ0सं0 162/11 धारा 364/302 भादवि का अभियोग पंजीकृत है।

3– दिनांक 05–11–2014 को दिल्ली के मेटल व्यापारी श्री संजय गुप्ता के ऑफिस में अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें 26 लाख रूपया एवं चॉदी के सिक्के लूट लिये गये थे । यह पूरी घटना सी0सी0टी0वी0 में रिकार्ड हो गयी थी । इस घटना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार दिल्ली में मु0अ0सं0 464/14 धारा 392/397/411/34/120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत हैं।

4– दिनांक 10–01–2015 को अपने साथी उदयवीर उर्फ भोला तथा अन्य गैंग के अन्य साथियों के साथ मिलकर वर्चस्व को कायम करने के लिए भौड़सी, गुरूग्राम हरियाणा में दोहरे हत्याकाण्ड को अंजाम दिया गया था । इस घटना के सम्बन्ध में थाना गुरूग्राम सदर पर मु0अ0सं0 292/11 धारा 307/302/120बी/34 भादवि का अभियोग पंजीकृत है।

3– दिनांक 07–12–24 को कुख्यात अपराधी हाशिम बाबा के निर्देश पर मुकेश कुमार उर्फ सचिन के साथ मिलकर दिल्ली के व्यापारी सुनील जैन की हत्या की गयी थी । इस हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना फर्श बाजार दिल्ली में मु0अ0सं0 629/24 धारा 103(1), 3(5), 249, 61(2), 303, 318, 336, 341 बी0एन0एस0 एवं 25/27 आर्म्स एक्ट एवं 43/66/66बी/72 आई0टी0 एक्ट एवं 3/4 मकोका का अभियोग पंजीकृत है।

मृतक अभियुक्त नवीन कुमार, उपरोक्त की अन्य आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में भी जानकारी की जा रही है।

<u>मृतक अभियुक्त नवीन कुमार पुत्र</u> सेवा राम <u>का ज्ञात आपराधिक इतिहास–</u>

1–मु0अ0सं0–261/08 धारा–25 आर्म्स एक्ट थाना सीमापुर दिल्ली।

2– मु0अ0सं0–339/09 धारा–356/379/34 भादवि थाना आनन्द विहार दिल्ली।

3– मु0अ0सं0–718/09 धारा–25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।

4– मु0अ0सं0–716/09 धारा–307 भादवि थाना सेक्टर 39 जनपद गौतमबुद्धनगर।

5– मु0अ0सं0–2108/09 धारा–302 भादवि थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।

6– मु0अ0सं0–329/10, धारा–2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।

7– मु0अ0सं0–41/11 धारा–25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना स्पेशल सेल दिल्ली।

8– मु0अ0सं0–77/11 धारा–356/379/34 भादवि थाना प्रीत विहार दिल्ली।

9– मु0अ0सं0–97/11 धारा– 392/397/120बी/34 भादवि थाना जीटीबी एन्क्लेव दिल्ली

10– मु0अ0सं0–111/11 धारा–356/379/411/34 भादवि थाना वेलकम दिल्ली।

11– मु0अ0सं0–130/11 धारा–356/379/34 भादवि थाना पाण्डेय नगर दिल्ली।

12– मु0अ0सं0–162/11 धारा–364/302 भादवि थाना वेलकम दिल्ली।

13– मु0अ0सं0–292/11 धारा–307/302/120बी/34 भादवि थाना गुरूग्राम सदर हरियाणा।

14– मु0अ0सं0–70/13 धारा–307/323/34 भादवि थाना हर्ष विहार दिल्ली।

15– मु0अ0सं0–464/14 धारा–392/397/34 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार दिल्ली।

16– मु0अ0सं0–3/15 धारा–25/54/59 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार दिल्ली।

17– मु0अ0सं0–236/15 धारा–3 मकोका एक्ट थाना सदर बाजार दिल्ली।

18– मु0अ0सं0–642/16 धारा–25 आर्म्स एक्ट थाना सीमापुर दिल्ली।

19–मु0अ0सं0–272/18 धारा–394/395/397/120बी/34 भादवि एवं 25/27 आर्म्स एक्ट थाना जगतपुर दिल्ली।

20–मु0अ0सं0–629/24 धारा–103(1), 3(5), 249, 61(2), 303, 318, 336, 341 बी0एन0एस0 एवं 25/27 आर्म्स एक्ट एवं 43/66/66बी/72 आई0टी0 एक्ट एवं 3/4 मकोका थाना फर्श बाजार दिल्ली।

21–मु0अ0सं0–328/25 धारा–109 बीएनएस थाना कोतवाली हापुड जनपद हापुड।

उपरोक्त पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना कोतवाली हापुड जनपद हापुड पर मु0अ0सं0: 328/25 धारा 109 बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

## पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशन में प्रदेश में चलाये गये ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत अभियुक्तों को दिलायी गयी सजा

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के जनपदों में हत्या, लूट, डकैती, पॉक्सों एक्ट आदि के जघन्य अपराधों को चिन्हित कर उक्त अभियोगों का मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर अभियुक्तों को कम से कम समय में अधिक से सजा दिलाये जाने हेतु ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान पूर्व से चलाया जा रहा है।

**श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक उ0प्र0** द्वारा उक्त के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्देश निर्गत किये गये तथा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिसके फलस्वरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को सजा सुनाई गयी।

- **जनपद जौनपुर/थाना जफराबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा मात्र 26 दिन के अन्दर अभियुक्त को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जौनपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चार्ज फ्रेम होने के मात्र 26 दिवस के अन्दर मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना जफराबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 65(2) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त खुर्शीद आलम उर्फ मो0 हमजा को 25 वर्ष के कठोर करावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हमीरपुर/थाना मौदहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 04 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना मौदहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/308/323/34 भादवि के अन्तर्गत

04 अभियुक्तों 1–रामकृपाल 2–रामकरन 3–बृजेश 4–हेमराज को आजीवन कारावास व 01 लाख 04 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना देवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना देवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/366/504/506/406 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व 3(5)(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधि0 के अन्तर्गत अभियुक्त सलमान को आजीवन करावास व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर /थाना ललौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना ललौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत 04 अभियुक्तों 1–भूपेन्द्र उर्फ भूप 2–चुनका 3–मुन्नीलाल 4–लाची 5–लक्ष्मी को आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई /थाना कोतवाली शहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त धनन्जय को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

## जनपद कौशाम्बी/थाना करारी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **छिनैती का 01 जोड़ी पायल, नगद रूपये**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 28/29.05.2025 की रात्रि थाना करारी व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अर्का तिराहा के पास बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त रवि घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से छिनैती का 01 जोड़ी पायल, नगद रूपये, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना करारी पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद कौशाम्बी, कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानों पर चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना करारी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–रवि निवासी मन्दर फाटक थाना पूरामुफ्ती, प्रयागराज।

**बरामदगी**

1–छिनैती का 01 जोड़ी पायल, नगद रूपये।

2–01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

## जनपद हमीरपुर/थाना राठ

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 29.05.2025 को थाना राठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त रामबाबू गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना राठ पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना राठ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–रामबाब निवासी ग्राम चिल्ली थाना राठ जनपद हमीरपुर।

**बरामदगी**

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

## कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–113

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 21 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनॉकः 29.05.2025 को थाना सेक्टर–113 व सर्विलांस सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पर्थला डूब क्षेत्र से 05 अभियुक्तों 1–मोहित 2–ओमवीर

कुमार 3—आकाश 4—रोहित कुमार 5—आनंद कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 21 दो पहिया वाहन बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मोहित, ओमवीर कुमार के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के आधा—आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त आकाश के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर—113 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—मोहित निवासी बजरिया थाना महोबा वर्तमान पता—बरौला थाना सेक्टर—49, नोएडा गौतमबुद्धनगर।

2—ओमवीर कुमार निवासी लिधौरा मसूदपुर थाना पनवाड़ी, महोबा वर्तमान पता—बरौला थाना सेक्टर—49 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

3—आकाश निवासी गॉव कैथा थाना राठ जनपद हमीरपुर वर्तमान पता—बरौला थाना सेक्टर—49 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

4—रोहित कुमार निवासी ग्राम भलवा थाना जानसठ मुजफ्फरनगर वर्तमान पता—बरौला थाना सेक्टर—49 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

5—आनंद कुमार निवासी गांव अटकुंआ थाना चरखारी, महोबा वर्तमान पता—बरौला थाना सेक्टर—49 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

**बरामदगी**

1—चोरी की 21 दो पहिया वाहन।

**जनपद मैनपुरी/थाना कुरावली**

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के 04 लाख 70 हजार रूपये नगद**
- **चोरी की 01 टूटी हुयी पीली धातु की अंगूठी**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 29.05.2025 को थाना कुरावली व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–अनूप उर्फ अनुज 2–मिथुन कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 04 लाख 70 हजार रूपये नगद, चोरी की 01 टूटी हुयी पीली धातु की अंगूठी, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कुरावली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध थाना कुरावली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त अनूप उर्फ अनुज के विरूद्ध जनपद मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद व फतेहगढ़ के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 26 अभियोग व अभियुक्त मिथुन कुमार के विरूद्ध जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कुरावली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–अनूप उर्फ अनुज निवासी कैरावली थाना करहल जनपद मैनपुरी।

2–मिथुन कुमार निवासी कैरावली थाना करहल जनपद मैनपुरी।

**बरामदगी**

1–चोरी के 04 लाख 70 हजार रूपये नगद।

2–चोरी की 01 टूटी हुयी पीली धातु की अंगूठी।

3–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

**जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद**

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग डेढ़ करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 532 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनॉकः 29.05.2025 को थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोल्ड स्टोरेज के पास मैनपुरी रोड से 02 अभियुक्तों 1–रवि कुमार 2–राजेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग डेढ़ करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 532 ग्राम अवैध चरस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–रवि कुमार निवासी सिहोरवा वार्ड नं0–10 थाना रक्सौल जनपद जकयारी पूर्वी चंपारण, बिहार।

2–राजेन्द्र निवासी घोंघालडीया थाना सदर बारा जनपद बारा, नेपाल।

**बरामदगी**

1–लगभग डेढ़ करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 532 ग्राम अवैध चरस।

———————